प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला–ए.सी.बी. चौकी कोटा, शहर थाना... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर
प्र0सू0रि0संख्या ......04/2023...... दिनांक........06/1/2023
2. (1) अधिनियम–भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा– 07
(2) अधिनियम– ....धारा–
(3) अधिनियम..............................धारायें–..
(4) अन्य अधिनियम धारायें..
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..........110......समय.........3:00 P.M.,
(ब) अपराध घटने का दिन ... गुरुवार...दिनांक...21.07.2022...समय 03.54पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक... 21.07.2022 समय 02.15पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक– लिखित
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी:–उत्तर–पश्चिम व 15 कि.मी.
(ब) पता:–उप तहसील कार्यालय मण्डाना जिला कोटा
जरायम देही संख्या..................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना–
6.परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम:–श्री राजेश कुमार
(ब) पिता का नाम –श्री धन्ना लाल
(स) जन्मतिथी/वर्ष–उम्र 36 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता. –भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या.................जारी होने की तिथी.............जारी होने की जगह..........................
(र)व्यवसाय –
(ल) पता –निवासी नया गांव थाना मण्डाना जिला कोटा

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–
श्री राधेश्याम पुत्र श्री नाथू लाल ग्राम व पोस्ट आटोन तहसील अटरू जिला बांरा तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का दोबडा मण्डाना कोटा हाल भू–अभिलेख निरीक्षक तहसील सांगोद जिला कोटा
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारण:–कोई नही
9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).
10.चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य...
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)..
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–
महोदय

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 21.07.2022 को परिवादी श्री राजेश कुमार गुर्जर चौकी भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा उपस्थित आया। प्रभारी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं होने से उक्त परिवादी ने हल्का पटवारी दोबडा राधेश्याम द्वारा इंतकाल खुलवाने के लिए रिश्वत मांगने का प्रार्थना पत्र श्री हर्षराज सिंह उप पुलिस अधीक्षक को पेश कर बताया कि मुझे आज ही उक्त पटवारी ने बुलाया हैं अभी जल्दी जाऊंगा तब ही उक्त पटवारी मिलेगा क्योंकि सांय के समय वह बहुत कम मिलता हैं अभी जाते ही वह मण्डाना में मिल जायेगा तब रिश्वत के बारे में बात करेगा। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के अवलोकन से मामला रिश्वत मांग का है। चुंकि उक्त परिवादी ने रिश्वत मांग की शिकायत दी हैं तथा अभी शीघ्र जाने पर ही रिश्वत बाबत वार्ता होना बताया हैं, अतः प्रभारी अधिकारी को अवगत कराकर निर्देशानुसार मालखाने से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के निकलवाया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को परिवादी को सुपुर्द कर चालु व बन्द करने की विधि परिवादी को समझाई गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कानि. श्री नरेन्द्र सिंह नं. 305 को बुलाकर परिवादी से परिचय कराते हुए तुरन्त सत्यापन हेतु परिवादी के साथ जाने हेतु निर्देश दिये तथा फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड बनाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल की गई। उक्त परिवादी व कानि. सत्यापन हेतु रवाना किया गया। दिनांक 21.07.2022 शाम को श्री नरेन्द्र सिह कानि0 305 कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया,

डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड श्री हर्षराज सिंह, उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया और बताया कि " मैं व परिवादी राजेश कुमार कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो कोटा से जरिये प्राईवेट वाहन से रवाना होकर कस्बा मण्डाना पहुंचे उपतहसील कार्यालय मण्डाना के बाहर ही गाडी को रोककर परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाकर परिवादी राजेश कुमार को पटवारी श्री राधेश्याम के पास रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया, कुछ समय बाद परिवादी वापस आया तथा उसने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बन्द किया तथा मुझे बताया कि पटवारी श्री राधेश्याम जी से मेरी रिश्वत के संबन्ध में बात हो गई है, उन्होंने हमारी जमीन का इन्तकाल खोलने के मुझसे 15,000 रूपये मांगे थे जिसमें से मैंने 10,000 रूपये पूर्व में दे दिये थे तथा बचे हुये 5,000 रूपये देने के लिए मुझ पर दबाव बना रहे थे तथा नामान्तरण की नकले मुझे 5000 रूपये देने से पहले नहीं दे रहे थे। 5000 रूपये मैंने उनको सोमवार तक देने के लिए कहा है। हमारे दोनों के मध्य हुई समस्त वार्ता इस डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड हो गई है। परिवादी के घर पर आवश्यक कार्य होने से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द कर वह उसके गांव चला गया तथा मैं वहां से रवाना होकर कार्यालय हाजा आया हूं। श्री हर्षराज सिंह, उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह कानि. से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर एवं मैमोरी कार्ड प्राप्त किया तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटोप में लगाया तो डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुये मैमोरी कार्ड में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर की मैमोरी में एक फाईल 220721_1554, रिकॉर्ड हुई जो 37.0 MB की तथा कुल समय 26 मिनट 31 सैकण्ड की है। उक्त फाईल को चलाकर वार्ता के अंश सुने गये तो परिवादी द्वारा कानि. श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा कहे गये कथनो की ताईद हुई तथा रिश्वत बाबत वार्ता होना पाया गया। चुंकि परिवादी अभी उपस्थित नहीं हैं तथा दिनांक 25.07.2022 को ट्रेप कार्यवाही की संभावना है, अतः प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार परिवादी का प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी व प्राप्ति डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड यथास्थिति में अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री नरेश चौहान पु.नि. को सुपुर्द किया गया। तत्समय श्री हर्षराज सिंह खरेडा उप पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री धन्नालाल जाति गुर्जर उम्र 36 साल निवासी–नयागावं थाना मण्डाना उपतहसील मण्डाना, जिला कोटा द्वारा पेश प्रार्थना पत्र, सुपुर्दगी व प्राप्ति डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किये तथा बताया कि परिवादी व पटवारी श्री राधेश्याम के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता इस डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। परिवादी के आवश्यक कार्य होने से व कानि. श्री नरेन्द्र सिंह के हमराह कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका है, उसने अग्रिम कार्यवाही के लिए 5,000 रूपयों की व्यवस्था होने पर सूचित करने के लिए कहा है, श्री नरेश चौहान, पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जो एक टाईपशुदा प्रार्थी राजेश कुमार के हस्ताक्षरशुदा हैं जो निम्न प्रकार है :–" प्रार्थी नयागावं पटवारी हल्का दोबडा थाना मण्डाना का रहने वाला हैं। प्रार्थी की परिवारिक जमीन खसरा नम्बर 107, 113, 154, 24, 15, 69, 133 एवं 72 नयागांव में स्थित हैं। मेरी दादी का स्वर्गवास होने के उपरांत उपरोक्त खसरा नम्बर की जमीन का इन्तकाल मेरे पिताजी व मेरे ताऊजी एवं छोटे ताऊजी के बच्चों एवं मेरी भुआ के नाम खुलना था, इस बाबत मैं पटवारी राधेश्याम जी से मिला तो उन्होने मुझे आश्वासन देकर भेज दिया तथा कई दिन तक हमारी जमीन का इन्तकाल खोलने का काम नहीं किया। अन्त में मैने उनको कहा कि आप मुझे कई दिनों से कह रहे हो मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होने मुझसे कहा कि तुम्हारी जमीन का इन्तकाल खुलवाने के लिए तुम्हे मुझे 15,000 रूपये देने पड़ेंगे। पारिवारिक कारणों से मुझे इंतकाल खुलवाने की जल्दी थी तथा पटवारी जी ने मुझे दबाव में लेकर मुझसे 10,000 रूपये पहले प्राप्त कर लिये तथा इसके बाद उन्होने मेरे पिताजी एवं ताऊजी एंव छोटे ताऊजी के बच्चों के नाम इन्तकाल खुलवा दिया। इसके बाद मेरे पिताजी के हिस्से में आई जमीन पर के.सी.सी. लेने के लिए मैने जब पटवारी राधेश्याम से नकल इत्यादि देने के लिए कहा तो उन्होने कहा कि इसके लिये तुम मुझे 5,000 रूपये दो तब ही तुम्हे मैं इस जमीन की नकल दूंगा। मैं मेरे जायज काम के लिए पटवारी राधेश्याम को रिश्वत के 5,000 रूपये नहीं देना चाहता हूं तथा उनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी पटवारी राधेश्याम से कोई पुरानी रंजीश नहीं हैं व न हीं उनसे कोई लेनदेन बकाया है। कृपया कार्यवाही करने की कृपा करें। तत्पश्चात डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो परिवादी से पटवारी की रिश्वत मांग के संबन्ध में वार्ता होना पाया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय

मैमोरी कार्ड को मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 26.07.2022 को परिवादी श्री राजेश कुमार कार्यालय हाजा उपस्थित आया तथा श्री नरेश चौहान, पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं पटवारी राधेश्याम जी को रिश्वत में दिये जाने वाली रकम 5,000 रूपयों की व्यवस्था करके ले आया हूं तथा कल पटवारी जी मण्डाना आयेंगे। परिवादी के कहेनुसार ट्रैप कार्यवाही सुबह होने की सम्भावना होने के कारण अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा के नाम एक तहरीर जारी कर श्री मनोज शर्मा कानि. 211 को गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाह पाबन्द करने हेतु रवाना किया गया जो श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री रघुवीर प्रसाद मीणा जाति मीणा उम्र 30 साल निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा थाना अयाना जिला कोटा राजस्थान हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा0 नि0 वि0 जिला खण्ड कोटा एवं श्री अमित कुमार पुत्र श्री चिमनलाल वर्मा उम्र 28 साल जाति बलाई निवासी ग्राम सराय थाना उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा0 नि0 वि0 नगर खण्ड कोटा को हमराह लेकर आये। कार्यवाही दिनांक 27.07. 2022 को की जानी हैं अतः परिवादी को मय रिश्वत में दी जाने वाली राशि सहित एवं गवाहान को दिनांक 27.07.2022 को समय 9.00 एएम पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर वापस रवाना किया। इस पर पाबन्दशुदा समय पर परिवादी श्री राजेश कुमार मय रिश्वत राशि 5,000/- रूपये के एंव पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री श्यामसुंदर व अमित कुमार उपस्थित आयें। उक्त दोनों सरकारी स्वतंत्र गवाहान व परिवादी का आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढ़कर सुनाया गया तथा होने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति चाहने पर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी सहमति व्यक्त की। तत्पश्चात् दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढ़कर उस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। बाद हस्ताक्षर के परिवादी व दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर की मैमोरी में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी व आरोपी राधेश्याम पटवारी व अन्य के मध्य उप तहसील परिसर मण्डाना में स्थित पटवारी के कक्ष में दिनांक 21.07.2022 को हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री नरेन्द्र सिह कानि. 305 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। उक्त वार्ता मे परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री राधेश्याम पटवारी व अन्य अन्य व्यक्ति की होना पहचान की। फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। दोनों सरकारी स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री धन्नालाल जाति गुर्जर उम्र 36 साल निवासी- नयागावं थाना मण्डाना जिला कोटा ने आरोपी श्री राधेश्याम पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5,000/- (पांच हजार रूपये) अपने पास से श्री नरेश चौहान, पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनके नम्बर फर्द मे अंकित किये गये। श्रीमति सरोज महिला कानि. नं. 104 द्वारा कार्यालय के मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई तथा उक्त सभी नोटों को एक अखबार पर रखवाकर सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर भली भांति लगवाया गया। स्वतंत्र गवाहान श्री श्याम सुंदर से परिवादी श्री राजेश कुमार की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। श्रीमति सरोज महिला कानि. नं. 104 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगी हुई रिश्वत राशि 5000 रू. के नोटों को पहनी हुई पेन्ट की सामने की दायीं जेब में रखवाया। तत्पश्चात् एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवा कर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जिसका घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्रीमति सरोज महिला कानि. नं. 104के फिनोफ्थलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पावडर के आपसी मिश्रण की रासायनिक प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर सम्बधितों को समझाया गया। परिवादी राजेश कुमार को हिदायत दी की पावडर लगे नोटो को रास्ते मे अनावश्यक रूप से हाथ नहीं लगावे। आरोपी के मांगने पर ही उक्त पावडर लगे नोटों को अपने पास से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात अपने सिर पर हाथ फिराकर या श्री नरेश चौहान, पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करके आरोपी द्वारा रिश्वत ग्रहण करने का इशारा करें। कार्यालय का डिजीटल वाइस रिकॉर्डर को चालू व बंद करने की विधि परिवादी को समझाकर वक्त रिश्वती लेन देन होने

वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए हिदायत देकर वाईस रिकॉर्डर परिवादी राजेश कुमार को सुपुर्द किया। इसके बाद गिलास के धोवन को बाहर फिंकवाया गया। नोटों पर पावडर लगाने के काम मे लिया गया अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी राजेश कुमार के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखें व वार्ता को सुनने का प्रयास करे। 12.45 तथा 04.30 पी.एम. पर गोपनीय तरीके से उप तहसील कार्यालय परिसर मण्डाना में स्थित पटवारी कक्ष में आरोपी राधेश्याम पटवारी की मौजूदगी का पता करवाया तो आरोपी श्री राधेश्याम पटवारी कोटा होना बताया। परिवादी श्री राजेश कुमार ने बताया कि पटवारी जी मण्डाना आते हैं तो 11 या 12 बजे के आसपास ही आते हैं तथा अब 4.30 बजे का टाईम हो रहा हैं इसलिए वो अब अपने कार्यालय में नहीं आयेंगे मेरे भी घर पर आवश्यक कार्य हैं मुझे भी घर पर जाना है, पटवारी जी अब जब भी आयेंगे मैं तलाश करके बता दूंगा जब ही कार्यवाही करेंगे। कार्यवाही आईन्दा की जानी हैं, अतः परिवादी श्री राजेश कुमार के पास रखी हुई रिश्वत राशि गवाह श्याम सुंदर से निकलवाकर एक लिफाफे मे रखवाकर मालखाने मे सुरक्षित रखवायी गयी। परिवादी से डिजीटल वाईस रिकार्डर वापस प्राप्त किया गया। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर उसके गांव के लिए रवाना किया गया, तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान को भी आवश्यक गोपनीयता की एवं सूचना पर तुरंत कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो आने की हिदायत कर अपने कार्यालय में जाने हेतु रूखसत किया गया। दिनांक 28.07.2022 को परिवादी ने कहा हैं कि आज कस्बा मण्डाना में हाट हैं तथा पटवारी जरूर आया होगा तथा कुछ समय बाद पटवारी के अपने कक्ष में उपस्थिती बाबत सूचना देगा, अतः कार्यवाही में पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री श्यामसुंदर एवं श्री अमित कुमार का जरिये मोबाईल सूचित कर कार्यालय में बुलाया गया। इस समय परिवादी श्री राजेश कुमार ने श्री नरेश चौहान, पुलिस निरीक्षक को मोबाईल से कॉल करके बताया कि मैं कस्बा मण्डाना में ही हूं तथा पटवारी जी अपने कक्ष में ही हैं आप आ जाओ, इस पर परिवादी को कस्बा मण्डाना के बाहर झालावाड–कोटा फोरलेन हाई–वे से झालावाड की तरफ से मण्डाना कस्बे में अन्दर जाने वाले रास्ते पर मिलने के लिए कहा। आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5,000 रूपये जो स्वतंत्र गवाह से लिफाफे में रखवाकर मालखाने में सुरक्षित रखवाई थी को लिफाफे सहित मालखाने से निकलवाकर स्वतंत्र गवाह श्री श्याम सुंदर के पास रखवाई गई, तत्पश्चात भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल युनिट के सरकारी वाहन टवेरा गाडी मय चालक सें पु.नि. श्री नरेश चौहान, मन पुलिस निरीक्षक, श्री दिलीप सिह स0लि0, श्री नरेन्द्र सिह कानि0 305, श्री मनोज शर्मा कानि. 211, श्री देवेन्द्र सिह कानि0 304 मय स्वतंत्र गवाहान श्री श्यामसुंदर एवं श्री अमित कुमार मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड मय मैमोरी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर ट्रेप बॉक्स व ट्रेप कार्यवाही मे काम आने वाले उपकरण व आवश्यक सामग्री के ट्रेप कार्यवाही हेतु कस्बा मण्डाना के लिये रवाना हुआ। परिवादी राजेश कुमार पूर्व में पाबन्दशुदा कस्बा मण्डाना के बाहर मिला जिसको स्वतंत्र गवाह श्री श्याम सुंदर से लिफाफे में रिश्वती राशि निकलवाकर परिवादी की शर्ट की जेब में रखवाई तथा स्वतंत्र गवाह श्री श्याम सुंदर के गाडी में रखी हुई बोतल निकलवाई जाकर, पानी से अच्छी तरह हाथ धुलाये गये तथा परिवादी को आरोपी श्री राधेश्याम पटवारी से वार्ता कर रिकॉर्ड करने तथा रिश्वत राशि आरोपी द्वारा ग्रहण करने पर पूर्व निर्धारित इशारा या मोबाईल पर कॉल करके सूचना देने की हिदायत कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करके परिवादी की पेन्ट की जेब में रखा तथा परिवादी एवं कानि. नरेन्द्र सिंह 305 को परिवादी की मोटर साईकिल से पटवारी के कक्ष के लिए रवाना किया तथा परिवादी के पीछे–पीछे मय टीम श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक प्राईवेट वाहन से रवाना हुये। कुछ समय बाद परिवादी राजेश कुमार उप तहसील कार्यालय मण्डाना से बिना इशारा किये बाहर आया तथा उप तहसील मण्डाना सेझालावाड की तरफ रोड पर मोटरसाईकिल से रवाना हुआ श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक भी मय हमराहियान जाब्ता, स्वतंत्र गवाह एंव कानि. श्री नरेन्द्र सिंह को सरकारी वाहन में बैठाकर परिवादी के पीछे–पीछे रवाना हुआ, परिवादी करीबन आधो किलोमीटर जाकर रोड की साईड में रूक गया श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक ने वाहन को साईड में लगवाया तथा परिवादी से बन्द हालात में डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त किया तथा परिवादी से पूछा तो उसने बताया कि मैं आपके पास से उप तहसील परिसर में स्थित पटवारी के कक्ष लिए रवाना हुआ था तथा मेनगेट के बाहर ही मैने नरेन्द्र जी को मेरी मोटर साईकिल से उतार दिया था तथा मैं पटवारी जी के कक्ष में गया था, वंहा पर मुझे पटवारी जी मिल गये थे मैंने पटवारी जी को नमस्कार किया

तथा वंहा उपस्थित पटवारी जी के हेल्पर राजू से मेरी नकलों बाबत बात की तो उसने कल बनाने के लिए तथा नकलें लेने के लिए मुरारी को भेजने के लिए कहा इसके बाद मैने पटवारी जी से बात की तो उन्होने मुझसे रिश्वत की राशि बाबत पूछा तो मैने उनको कहा की ले आया हूं आदेश करो तो उन्होने कहा की कल फिर मैने कहा कि कुछ गुंजाईश करो तो उन्होने राजू की तरफ इशारा कर बताया कि नकलें ले जाना राजू को कर जाना। इस पर मैं वापस आ गया हमारे मध्य हुई समस्त वार्ता इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई हैं तथा उसने मुझे कल बुलाया हैं, किन्तु कल मुझे मेरे मातापिता को मथुरा लेकर जाना हैं तथा पूर्व से ही मैने ट्रेन की टिकट करा रखी हैं अतः मेरे वापस आने पर ही कार्यवाही करेंगे। परिवादी के कहेनुसार कार्यवाही आईन्दा की जानी हैं। अतः परिवादी की शर्ट की जेब से रिश्वती राशि गवाह श्री श्यामसुंदर से निकलवाकर एक लिफाफे में सुरक्षित रखवाई तथा परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर रवाना कर श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के कोटा भ्र.नि.ब्यूरो के लिए रवाना हुआ। कस्बा मण्डाना से रवानाशुदा जाप्ता चौकी भ्र.नि.ब्यूरो कोटा पहुंचा तथा रिश्वती राशि को मालखाने में सुरक्षित रखवाई गई, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा कहे गये कथनों की ताईद हुई, वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से बनाई जाकर शामिल पत्रावली की जावेगी। स्वतंत्र गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 03.08.2022 को श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक ने कार्यवाही बाबत परिवादी के मोबाईल पर कॉल कर सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि मैं मथुरा से वापस आ गया था, जिसके बाद मैने पटवारी जी से मोबाईल पर कॉल किया तो उन्होने मेरा कॉल रिसिव नहीं किया, दिनांक 28.07.2022 को उन्होने रिश्वत की राशि उनके परिचित राजू को देने के लिए कहा था किन्तु राजू मेरा भी मिलने वाला हैं तथा उसको पटवारी जी द्वारा लिये जा रहे रिश्वत की राशि की जानकारी भी नहीं हैं, मैं राजू को पटवारी के लिए रिश्वत में दी जाने वाली राशि नहीं देना चाहता हूं अभी पटवारी जी ने मुझे जमीन की नकलें भी नहीं दी हैं, मै पटवारी जी से मेरे कार्य के सिलसिले में मिलुंगा जब उनको ही रिश्वत की राशि दूंगा, पटवारी जी से मिलने का समय मैं आपको एक दो दिन में बताता हू।

दिनांक 17.08.2022 व दिनांक 01.09.2022 को श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक ने परिवादी के मोबाईल पर कॉल कर सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि मैने पटवारी जी से मिलने के संब्रन्ध में कई बार कॉल किया, लेकिन वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं, मैं एक दो दिन पहले पटवारी जी के कार्यालय में गया तो वंहा पर पटवारी जी मुझे नहीं मिले मैने पटवारी जी को मोबाइल पर कॉल किया किन्तु पटवारी जी ने मुझसे बात नहीं की, मुझे लगता हैं पटवारी जी को मुझ पर शक हो गया हैं, इसलिए वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं तथा अब वो मुझसे रिश्वत भी नहीं लेंगे, मेरे घर पर अभी काम हैं मैं एक दो दिन में आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। दिनांक 20.09.2022 को परिवादी श्री राजेश कुमार कार्यालय हाजा उपस्थित आया, परिवादी ने श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा के नाम एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र दे कर बताया कि इतने दिन हो गए श्री राधेश्याम पटवारी मेरे से बात नहीं कर रहे हैं । शायद उनको शक हो गया है और अब ट्रेप कार्यवाही होना संभव नहीं है। अतः आप मेरे द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000/–रू. लौटाने की कृपा करें। इस पर श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक ने पूर्व पाबन्द स्वतन्त्र गवाह श्री श्याम सुन्दर तथा श्री अमित कुमार को जर्ये मोबाइल कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया । इस पर पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाह श्री श्याम सुन्दर तथा श्री अमित कुमार कार्यालय हाजा उपस्थित आए। परिवादी श्री राजेश कुमार व दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर से उसमें रिकार्ड दिनांक 28.07.2022 को हुई रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता जो परिवादी श्री राजेश कुमार व आरोपी श्री राधेश्याम पटवारी के मध्य हुई थी जिसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप में श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया तो उक्त वार्ताओं मे परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री राधेश्याम पटवारी की होना पहचान की। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके साथ ही प्रकरण में परिवादी श्री राजेश कुमार व आरोपी राधेश्यामं पटवारी के मध्य दिनांक 21.07.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन तथा दिनांक 28.07.2022 को रिश्वत लेन देन प्रयास

वार्ता के दौरान हुई वार्ता जिसे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया है। उक्त वार्ता को श्री नरेन्द्र सिंह कानि 305 द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से लेपटॉप में लिवाया जाकर लेपटॉप के जरिए डब करवाई जाकर चार पैन ड्राइव तैयार करवाई, जिनमें से एक पैन ड्राइव माननीय न्यायालय हेतु, एक पैन ड्राइव नमूना आवाज के लिये, एक पैन ड्राइव आरोपी के लिए पृथक-पृथक कपड़े की थैली में रखकर सील्डमोहर की गई। एक पैन ड्राइव अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी गई । कपडे की थेलीयो पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर प्रभारी मालखाना को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाए गये। फर्द डबिंग तैयार करवाई जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री राजेश कुमार द्वारा रिश्वती राशि लौटाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दोनो गवाहान को पढ़कर सुनाया गया तथा दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा रिश्वत राशि वापस लेने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढ़कर उस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। उक्त स्वतन्त्र गवाहान् के समक्ष परिवादी श्री राजेश कुमारा को आरोपी श्री राधेश्याम पटवारी को ट्रेप करवाने हेतु कार्यालय हाजा में जमा करवाई गई राशि 5000/- रु मालखाने से निकलवाई जाकर, रिश्वती राशि पर लगे फिनोफ्थलीन पावडर को अच्छी तरह से झाड़कर उसे वापस लौटाई गई जिसकी फर्द सुपुर्दगी पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। प्रकरण में अब अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से परिवादी श्री राजेश कुमार तथा स्वतन्त्र गवाह श्री श्याम सुन्दर तथा श्री अमित कुमार को आवश्यक हिदायत देकर रुखसत किया । श्री नरेश चौहान, पुलिस निरीक्षक का स्थानान्तरण होने पर प्रकरण की पत्रावली मन पुलिस निरीक्षक अजीत बगडोलिया को प्राप्त हुई।

सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया है कि परिवादी श्री राजेश कुमार के पारिवारिक जमीन का इन्तकाल खोलने की एवज में श्री राधेश्याम पटवारी ने रिश्वत के रूप में 15,000/- रूपये की मांग की व 10,000/- रूपये पूर्व में प्राप्त किए तथा शेष 5,000/- रूपये परिवादी से लेने के लिए लगातार दबाव बनाया गया। परिवादी श्री राजेश गुर्जर से मांग सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा पूर्व में लिए गए 10,000/-रू. के बारे में सहमत हुआ तथा शेष रहे 5,000/- रूपये रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। आरोपी श्री राधेश्याम पटवारी पटवार हल्का दोबडा मण्डाना कोटा को परिवादी पर शक हो जाने के कारण रिश्वत राशि ग्रहण नहीं किए जाने के कारण ट्रेप कार्यवाही संभव नहीं हो पाई। आरोपी श्री राधेश्याम पटवारी पटवार हल्का दोबडा मण्डाना कोटा का कृत्य अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया कारित करना पाया जाता है। अतः आरोपी श्री राधेश्याम पुत्र श्री नाथूलाल ग्राम व पोस्ट आटोन तहसील अटरू जिला बांरा तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का दोबडा मण्डाना कोटा हाल भू-अभिलेख निरीक्षक तहसील सांगोद जिला कोटा के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

(अजीत बगडोलिया)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अजीत बगडोलिया, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राधेश्याम पुत्र श्री नाथू लाल, भू-अभिलेख निरीक्षक, तहसील सांगोद, जिला कोटा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 04/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6.1.23

(योगेश दाधीच)

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 31-34 दिनांक 06.1.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. जिला कलक्टर, कोटा।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

6.1.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।